रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/89 Registered No. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1989 (आषाढ़ 24, 1911)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1989 (ASADHA 24, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय कंपनी विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 28 मार्च 1989

क्रमांक डीएफसी (सीओसी) 56/डीजीओ)—89 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे (रिज़र्व बैंक को) समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाए अर्थात् :—

1. पैराग्राफ 3 में

(i) खण्ड (1) में "किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी विदेशी सरकार या किसी दूसरे विदेशी नागरिक, प्राधिकारी या व्यक्ति से प्राप्त" वाक्यांश के स्थान पर "स्थानीय प्राधिकारी या विदेशी सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी से प्राप्त" वाक्यांश रखा जाएगा ।

(ii) खण्ड (ii) में "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970(1970

का 5) की धारा 2 में परिभाषित तदनुरूप नये बैंक" वाक्यांश, आंकड़ों और कोष्ठकों के स्थान पर "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970(1970 का 5) में यथापरिभाषित अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980(1980 का 40) में यथापरिभाषित तदनुरूप नये बैंक" वाक्यांश, आंकड़े और कोष्ठक रखे जाएंगे, और

(iii) खंण्ड (iv) के लिए, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

(iv) अन्य किसी कंपनी, जो भारत से बाहर निगमित कंपनी नहीं हो, से प्राप्त कोई राशि",

2. पैराग्राफ 4 में,

निम्नानुसार नया उप-पैराग्राफ (3) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) इन निदेशों के पैराग्राफ 5, 7, 10, 10अ, 11, 12, 13अ और 16 पारस्परिक फायदा वाली वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

3. पैराग्राफ 5 में,

(I) शीर्षक में "पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनियों को छोड़कर" वाक्यांश हटा दिया जाएगा।

(II) उप-पैराग्राफ (1) में,

(क) "किराया-खरीद वित्त" वाक्यांश और "(1)" कोष्ठक और आंकड़ा हटा दिये जायेंगे,

(ख) "किराया खरीद वित्त या" "वाक्यांश जहां कहीं हो, हटा दिया जाएगा।

(III) वर्तमान उप-पैराग्राफ (2) के लिए एक नया उप-पैराग्राफ (2) उप-शीर्षकों के साथ रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) आवास वित्त कंपनियों के लिए जमाराशियों की अवधि

1 अप्रैल 1989 को और से कोई आवास वित्त कंपनी ऐसी कोई जमाराशि स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी चाहे उसे 1 अप्रैल 1989 से पहले या बाद में स्वीकार किया गया हो—

(क) जो मांग पर अथवा सूचना पर प्रतिसंदेय हो, अथवा

(ख) जब तक ऐसी जमाराशि उसकी स्वीकरण या नवीकरण की तारीख से चौबीस महीनों से अधिक अवधि के पश्चात् परन्तु चौरासी महीनों के अपश्चात् प्रतिसंदेय नहीं हो। परन्तु आवास वित्त कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 1989 से पहले स्वीकृत जमाराशियों का चुकान तब तक ऐसी जमाराशियों के निबंधनों के अनुसार किया जाएगा, जब तक उन्हें इन निदेशों के अनुसार नवीकृत नहीं किया जाता। परंतु यह और कि इस उप-पैराग्राफ में अन्तर्विष्ट कोई बात डिबेंचरों या बंधपत्रों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशियों के बारे में लागू नहीं होगी"।

(IV) उप पैराग्राफ (4) में

(क) वर्तमान शीर्षक और खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और नया खण्ड (1) रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपस्कर, पट्टे पर देने वाली और किराया खरीद वित्त कंपनियों द्वारा जमाराशियों के स्वीकरण या नवीकरण पर प्रतिबंध :

(1) अप्रैल 1989 को और से, कोई उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी ऐसी कोई जमाराशि स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी, चाहे उसे 1 अप्रैल 1989 से पहले या बाद में स्वीकार किया गया हो—

(क) जो मांग या सूचना पर प्रतिसंदेय हो, अथवा

(ख) जब तक ऐसी जमाराशि, उसके स्वीकरण या नवीकरण की तारीख से चौबीस महीनों से अधिक अवधि के पश्चात् परन्तु साठ महीनों के पश्चात् प्रतिसंदेय नहीं हो। परन्तु उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कंपनी या किराया खरीद वित्त कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 1989 से पहले स्वीकृत जमाराशियों का चुकान तब तक ऐसी जमाराशियों के निबंधनों के अनुसार किया जाएगा, जब तक उन्हें इन निदेशों के अनुसार नवीकृत नहीं किया जाता। परन्तु यह और कि इस खंण्ड में अन्तर्विष्ट कोई बात डिबेंचरों या बंधपत्रों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशियों पर लागू नही होगा"।

(ख) वर्तमान खण्ड (II) के बाद एक नया खण्ड—

(III) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

आवास वित्त कम्पनियों के लिए उच्चतम सीमा से अधिक की जमा-राशियों का स्वीकरण अथवा नवीकरण/करने पर प्रतिबंध

(III) (क) 1 अप्रैल 1989 को और से, कोई आवास वित्त कंपनी ऐसी जमाराशियों नहीं रखेगा, जिसकी कुल राशि इसके द्वारा धारित पैराग्राफ 3 के खण्ड (II), (III) और (IV) में संदर्भित राशियों,

यदि कोई हों, सहित नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो :—

निम्नलिखित शुद्ध स्वाधिकृत निधियों वाली आवास वित्त कंपनी	शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के अनुपात में उक्त उधार राशियां
(क) रु० 10 करोड़ तक	10 गुना
(ख) रु० 10 करोड़ से अधिक परन्तु रु० 20 करोड़ से कम	12.5 गुना
(ग) रु० 20 करोड़ से अधिक	15 गुना

परन्तु आवास वित्त कंपनी द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(ख) यदि आवास वित्त कंपनी के पास 1 अप्रैल 1989 की स्थिति के अनुसार ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक जमाराशियां हों तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अतिरिक्त राशि, 1 अप्रैल 1989 से पहले, जमाराशियों की चुकौती द्वारा या इस उपबंध के अनुपालन के लिए आवश्यक किसी अन्य प्रकार से घटा दी जाए ।

4. वर्तमान पैराग्राफ 10क्ष के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ 10अ रखा जाएगा,

अर्थात् —

"10 अ० ब्याज की दर और दलाली की उच्चतम सीमा

1 अप्रैल 1989 को और से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी—

(क) चौदह प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर कोई जमाराशि आमंत्रित या स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगी,

(ख) किसी दलाल को उसके द्वारा या उसके जरिए संगृहीत जमाराशियों के लिए नीचे निर्धारित दरों से अधिक दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन राशि या अन्य कोई लाभ चाहे उसका कुछ भी नाम रखा जाए, अदा नहीं करेगी :—

(I) जहां जमाराशि एक वर्ष से अनधिक अवधि की हो—ऐसी जमाराशियों का एक प्रतिशत (वार्षिक नहीं)

(II) जहां जमाराशि एक वर्ष से अधिक, परन्तु दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए हो—ऐसी जमाराशियों का डेढ़ प्रतिशत (वार्षिक नहीं)

(III) जहां जमाराशि दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए हो—ऐसी जमाराशि का दो प्रतिशत (वार्षिक नहीं)".

5. वर्तमान पैराग्राफ 11 के स्थान पर एक नया पैराग्राफ 11 रखा जाएगा, अर्थात्—

"11. जमाराशियों की चुकौती से संबंधित सामान्य उपबन्ध :

(I) जहां ऋण या निवेश कंपनी छः महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद जमाराशि की चुकौती करती हो, अथवा

(II) जहां उपस्कर पट्टे पर देने वाली कंपनी या किराया खरीद वित्त कंपनी या आवास वित्त कंपनी ऐसी जमाराशि की तारीख से चौबीस महीनों से अधिक अवधि के बाद परन्तु जितनी अवधि के लिए उस कंपनी द्वारा ऐसी जमाराशि स्वीकृत की गई हो उसकी समाप्ति से पहले जमाराशि की चुकौती करती हो, तो ऐसी जमाराशि पर कंपनी द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज की दर उस ब्याज दर से एक प्रतिशत कम होगी, जिस दर पर कंपनी द्वारा सामान्यतः उस स्थिति में ब्याज दिया जाता यदि जमाराशि उतनी ही अवधि के लिए स्वीकार की गयी होती जितनी अवधि तक उसे रखा गया या और कंपनी उस प्रकार घटायी गयी दर से ऊंची किसी भी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगी । परन्तु इस पैराग्राफ में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी जमाराशि की चुकौती पर लागू नहीं होगी, जितनी अवधि के लिए उस जमाराशि को कंपनी ने स्वीकार किया था, यदि ऐसी चुकौती इन निदेशों के उपबंधों के अनुपालन के प्रयोजन मात्र के लिए की गयी हो ।

स्पष्टीकरण :—

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, यदि जमाराशि वर्ष के एक भाग के लिए रखी गयी हो, तो वह भाग छः महीनों से कम अवधि का होने पर उसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा यदि वह भाग छः माह या अधिक अवधि का हो, तो उसे एक वर्ष के रूप में गिना जाएगा ।"

6. वर्तमान पैराग्राफ 13 के बाद, 13अ नामक एक नया पैराग्राफ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13अ लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उपबंध

प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पैराग्राफ 13 के अन्तर्गत उपबंधित लेखापरीक्षित तुलनपत्र की प्रति के साथ, अपने लेखापरीक्षकों से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सदस्य होते हैं, रिजर्व बैंक को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि कंपनी के जमाकर्ताओं के प्रति पूरी देयताएं, उन पर देय ब्याज सहित,

तुलन पत्र में उचित रूप में दर्शायी गयी हैं और कंपनी जमाकर्ताओं को देय ऐसी राशि चुकाने की स्थिति में है।"

पी०डी० ओझा,
उप गवर्नर

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान
(वेस्टर्न इण्डिया रिजनल सेक्रेटरीएट)
बम्बई-400005, दिनांक 25 अप्रैल 1989

सं०-3 डब्ल्यूसीए(4)/2/89-90-चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर से निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी विनती पर हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	1377	श्री पी०आर० जोगलेकर "रघुकूल" सुदर्शन सोसायटी, पूना-411 016	1-4-89
2.	10845	श्री होमी डी० गांधी 704, हेरीसटाऊन रोड, ग्लेन रॉक, एनजे-7452, यू०एस०ए०	1-4-89

एम०सी० नरसिम्हन,
सेटकेरी

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जून 1989

सा० का०————————————जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी० एन० सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि
1	2	3	4
1.	मैसर्स दी इन्डियन नेशनल प्रेस (बम्बई) लिमिटेड, फ्री प्रेस हाऊस, 215, फ्री प्रेस जनरल रोड़, नैरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021.	एमएच/1200	1-4-88
2.	इंडियन सिविंग मशीन कम्पनी लिमिटेड़, 3, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस-, नई दिल्ली-110019 और सम्पूर्ण भारत में इसकी सभी शाखाएं जो इसी कोड नं० के अन्तर्गत आती हैं।	एमएच/3903	1-8-87
3.	मैसर्स स्पेशल स्टील्स लि०, दत्तापारा रोड, बोरीवली (पूर्व), बम्बई-400066, और इसकी सात शाखायें जो इसी कोड नं० के अन्तर्गत आती हैं।	एमएच/4878	1-7-87
4.	मैसर्स हिन्दुस्तान ओरगेनिक कैमिकल्स लि०, पो०आ० रसायनी-410207, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र जिसमें इसी कोड संख्या के अन्तर्गत कर्यक्षेत्र के अधीन लायी गई कोचीन परियोजना भी शामिल है।	एमएच/12152	1-3-88
5.	मैसर्स परान लिमिटेड, 301, उद्योग मन्दिर, नं० 1, 7सी, पिताम्बर लेन, भागोजी कीर मार्ग, महीम, बम्बई-400016 और इसी कोड संख्या के अन्तर्गत कवर्ड इसकी शाखाएं।	एमएच/12475	1-8-87
6.	मैसर्स केमेत, ताज बिल्डिंग, पहली मंजिल, पोस्ट बाक्स नं० 195, 210, डा० डी०एन० रोड़, बम्बई-400001 और इसी कोड संख्या के अन्तर्गत कवर्ड तीन शाखाएं, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में।	एमएच/13870	1-9-87

7. मैसर्स हाउसिंग डेव्लपमेंट एमएच/20972 1-9-87
फाईनैन्स
कारपोरेशन लि०, रहमत हाउस,
169, बैकबे रिक्लेमेशन, बम्बई-400020
और इसकी सात शाखाएं इसी कोड़ के
अन्तर्गत ।

ननसूची –II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भजगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड के आधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पर पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका लाभ तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमानिगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को, जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

(सं० 2/1959/डी०एस आई/धू/89/आग-1)
बी०एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1989

सं० यू-16/53(1),89-चि०-2 (महाराष्ट्र)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक

23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० (श्रीमती) कमला गुप्ता को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1-6-89 से एक वर्ष तक पुणे केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

सं० यू-16/53/88-चि०-3 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमानिगम को दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० आर० टी० मरफतियां, गायत्री अपार्टमेंट, 10/411, गांधी चौक, सूरत को गुजरात राज्य के सूरत क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र को सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 1-7-1989 से अगली एक वर्ष की अवधि या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद पर सेवा का विस्तार करने की मंजूरी देता हूं और उसे चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० के० एम० सक्सैना,
चिकित्सा आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES
CENTRAL OFFICE

Calcutta-700 001, the 28th March 1989

No. DFC (COC)56/DG(O)-89.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely,—

1. In paragraph 3,

(i) In clause (i) for the words "received from a local authority or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person", the words "received from a local authority or a foreign Government or any other authority", shall be substituted;

(ii) In clause (ii), for the words, figures and brackets "a corresponding new bank as defined in section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)" the words, figures and brackets, "a corresponding new bank as defined in section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), or as defined in Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980)" shall be substituted; and

(iii) For clause (iv), the following clause shall be substituted, namely,—

"(iv) Any money received from any other company, not being a company incorporated outside India."

2. In paragraph 4,

a new sub-paragraph (3) shall be inserted as under, namely,—

"(3) Paragraphs 5, 7, 10, 10A, 11, 12, 13A and 16 of these directions shall not apply to a mutual benefit financial company."

3. In paragraph 5,

(i) In the heading, the words "other than mutual benefit financial companies" shall be deleted.

(ii) In sub-paragraph (1),

(a) the words "hire purchase finance" and brackets and figure "(1)" shall be deleted;

(b) the words "hire purchase finance or" wherever they occur, shall be deleted.

(iii) For the existing sub-paragraph (2) a new sub-paragraph (2) with the sub-heading shall be substituted, namely,—

"(2) **Period of deposits for housing finance companies**

On and from the 1st April 1989, no housing finance company shall accept or renew any deposit whether accepted before or after the 1st April 1989—

(a) which is repayable on demand or on notice; or

(b) unless such deposit is repayable after a period of more than twenty four months but not later than eighty four months from the date of acceptance or renewal of such deposit.

Proided that the deposits accepted by a housing finance company before 1st April 1989 shall, unless renewed in accordance with these directions, be repaid in accordance with the terms of such deposits.

Provided further that nothing contained in this sub-paragraph shall apply in respect of monies raised by the issue of debentures or bonds".

(iv) In sub-paragraph (4),

(a) For the existing heading and clause (i), the following heading and new clause (i) shall be substituted, namely—

"Restriction on acceptance or renewal of deposits by equipment leasing and hire purchase finance companies :

(i) On and from 1st April 1989, no equipment leasing company or a hire purchase finance company shall accept or renew any deposit whether accepted before or after the 1st April 1989,—

(a) which is repayable on demand or on notice; or

(b) unless such deposit is repayable after a period of more than twenty-four months out not later than sixty months from the dae of acceptance or renewal of such deposit.

Provided that the deposits accepted by an equipment leasing company or a hire purchase finance company befoe the 1st April 1989, shall unless renewed in accordance with these directions, be repaid in accordance with the terms of such deposits.

Provided further that nothing contained in this clause shall apply to monies raised by the issue of debentures or bonds."

(b) After existing clause (ii), a new clause (iii), shall be inserted, namely,—

Restriction on acceptance or renewal of deposits in excess of ceilings for housing finance companies.

(iii) (a) On and from 1st April 1989, no housing finance company shall have deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred to in clause (ii), (iii) and (ix) of paragraph 3, is in excess of the limits specified below :—

Housing Finance Company with net owned funds	Borrowings as above as a proportion of the Not owned funds
(a) Upto Rs. 10 crores	10 times
(b) Above Rs. 10 crores but below Rs. 20 crores	12·5 times
(c) Above Rs. 20 crores	15 times

Provided that the refinance obtained by a housing finance company from the National Housing Bank shall be excluded for the purpose of this clause.

(b) Where a housing finance company holds, as on 1st April 1989, deposits in excess of the limits specified above, it shall ensure that such excess is, before 1st April 1990, reduced by repayment of deposits or in any other manner as may be necessary for compliance with this provision'.

4. For the existing paragraph 10A, the following paragraph 10A shall be substituted, namely,—

"10A Ceiling on the rate of interest and brokerage

On and from 1st April 1989, no non-banking financial company shall—

(a) invite or accept or renew any deposit on a rate of interest exceeding fourteen per cent per annum;

(b) pay to any broker for deposits collected by or through him, brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatver name called in excess of the rates specified below :—

(i) Where a deposit is for a period not exceeding one year	One per cent (not per annum) of such deposits
(ii) Where a deposit is for a period exceeding one year but not exceeding two years	One and a half per cent (not per annum) of such deposits.
(iii) Where a deposit is for a period exceeding two years	Two per cent (not per annum) of such deposit.

5. For the existing paragraph 11, a new paragraph 11 shall be substituted, namely,—

"11. General provision regarding repayment of deposits :

(i) Where a loan or investment company makes repayment of a deposit after the expiry of a period of six months or

(ii) Where an equipment leasing company or a hire-purchase finance company or a housing finance company makes repayment of the deposit after a period of more than twenty-four months.

from the date of such deposit but before the expiry of the period for which such deposit was accepted by such company, the rate of interest payable by the company on such deposit shall be reduced by one per cent from the rate which the company would have ordinarily paid had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run and the company shall not pay interest at any rate higher than the rate as so reduced.

Provided that, nothing contained in this paragraph shall apply to the repayment of any deposit before the expiry of the period for which such deposit was accepted by the company, if such repayment is made solely for the purpose of complying with the provisions of these directions.

Explanation :

For the purpose of this paragraph, where the period for which the deposit had run contains any part of the year then, if such part is less than six months it shall be excluded and if such part is six months or more, it shall be reckoned as one year."

6. After the existing paragraph 13, a new paragraph 13A shall be inserted, namely,—

"13A. Provision for submitting Auditor's certificate

Every non-banking financial company shall furnish to the Reserve Bank, along with the copy of the audited balance sheet as provided under paragraph 13, a certificate from its Auditors, being members of the Institute of Chartered Accountants, to the effect that the full liabilities to the depositors of the Company, including interest payable thereon, are properly reflected in the balance sheet and that the company is in a position to meet the amount of such liabilities to the depositors."

P. D. OJHA
Dy. Governor

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Colaba, Bombay-400005, the 25th April 1989

No. 3WCA(4)/2/89-90.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on request with effect from the

dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	1377	Sri P. R. Joglekarr 'Raghukul Sudarshan Society, Pune-411016.	1-4-89
2.	10845	Shri Homi D. Gandhi, 704, Harristown Road, Glen Rock, NJ-7452, U.S.A.	1-4-89

M. C. NARASIMHAN
Secy.

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the

(No. 2/1959/DLI/Exemp/89 pt. I).—WHEREAS the employees of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more faourable to such employees than the benefit admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C., Maharashtra from the operation of the said scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE 1

S. No.	Name & address of the establishment	Code No.	Effective date of
1	2	3	4
1.	M/s The Indian National Press (Bombay) Limited, Free Press House, 215 Free Press Journal Road, Nariman Point, Bombay-400021.	MH/1200	1-4-88
2.	Indian Sewing Machine Co. Limited, 3-Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019, and its branches throughout India covered under the same code No.	MH/3903	1-8-87
3.	M/s Special Steels Limited., Dattapara Road, Borivli (East), Bombay-400066 and its 7 branches covered under the same Code No.	MH/4878	1-7-87
4.	M/s Hindustan Organic-Chemicals Limited, P. O. Rasayani-410207 Distt. Raigarh Maharashtra including its project Cochin covered under same Code No.	MH/12152	1-3-88
5.	M/s Paraan Limited, 301, Udyog Mandir No. 1, 7-C, Pitamber Lane, Bhagoji Keer Marg, Mahim, Bombay-400016 and tts branches covered under the same Code No.	MH/12475	1-8-87
6.	M/s Chemet, Taj Bldg., Ist Floor P. Box No. 195, 210, Dr.D.N.Road,Bombay-400001 & its 3 other branches at Delhi Madras & Calcutta covered under the same Code No.	MH/13870	1-9-87
7.	M/s Housing Development Finance Corporation Ltd., Ramon House, 169, Backbay Reclamation Bombay-400020 & its 7 branches covered under the same Code No.	MH/20972	1-9-87

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and

where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance of India as already adopted by the said establishment, or the benefit to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 27th June 1989

No. U-16/53(1)/89-Med.II(Mah.).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) Kamla Gupta to function as medical authority w.e.f. 1-6-89 for one year, for Pune Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

No. U-16/53/88-Med.III(Guj).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Ordef No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby grant extension of one year from 1-7-1989 or till a full time Medical Referee joins duty whichever is earlier to Dr. R. T. Marfatia, Gayatari Apartment, 10/411, Gandhi Chowk, Surat, as Part-time Medical Referee at Surat Centre in Gujarat, at a monthly remuneration as per existing norms and authorise him to function as medical authority for one year or till a full-time medical referee joins, whichever is earlier for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them, when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989